कार्यालय नगर निगम, उदयपुर

प्रेस नोट

उदयपुर शहर का चयन ''स्मार्ट सिटी मिशन'' में होने के कारण स्मार्ट सिटी योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार शहर की ऊर्जा खपत का न्यूनतम 10 प्रतिशत ऊर्जा सौर ऊर्जा के माध्यम से विकसित किये जाने के लिए शहर में स्थित आवसीय भवनों में अधिक मात्रा में रूप टॉप सोलर प्लान्ट स्थापित हो। नगर निगम उदयपुर द्वारा **''पहले आओ पहले पाओं''** की तर्ज पर जो भवन नगरीय विकास शुल्क के दायरें में नही आते है उन भवनों पर 1 KW- 5 KW तक के संयत्र भवन मालिक अपनी स्वैच्छा से RRECL द्वारा जारी Rate Contract Order में चयनित कम्पनियों के माध्यम से संयत्र लगवा सकता है। (जिसकी विस्तृत जानकारी Website www.rrecl.com पर उपलब्ध है।)

RRECL द्वारा 30 प्रतिशत अंशदान देने एवं कम्पनी द्वारा स्थापित संयत्र के फोटोग्राफ दिनांक 02.01.2017 के पश्चात् जारी Supply Order की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करने के पश्चात् ही नगर निगम, उदयपुर द्वारा 10 प्रतिशत अतिरिक्त और अंशदान दिया जायेगा। यह अंशदान सीधा कम्पनी को दिया जायेगा जिसमें नागरिक को केवल 60 प्रतिशत राशि कम्पनी को देनी होगी। यह छुट केवल 1 MW Capacity की स्थापना तक दी जायेगी इसलियें अपना आवेदन जल्द से जल्द करें।

इस हेतु इच्छुक भवन मालिक जल्द से जल्द कार्यालय नगर निगम उदयपुर में आवेदन पत्र मय मानचित्र प्रस्तुत कर आवेदन कर सकता है।

उप महापौर, नगर निगम, उदयपुर	आयुक्त नगर निगम, उदयपुर	महापौर नगर निगम, उदयपुर